<u>प्रतिलिपि</u> :– आदेश पत्र दिनांक 05.11.2022 का जो कि न्यायालय : सुश्री संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के जमानत आवेदन पत्र कमांक–382/2022 में पारित आदेश जिसके पक्षकार निम्न है :–

———————————————————————————————————

देवराज यादव पिता–लल्लू राम यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी–चितापाली, थाना उरगा, तहसील व जिला–कोरबा (छ0ग0)

—— **<u>आवेदक/अभियुक्त</u>**

//<u>विरूद्ध</u>//

छ0ग0 राज्य
द्वारा आबकारी वृत्त (दक्षिण) कोरबा,

——**<u>अनावेदक/अभियोगी</u>**

———————————————————————————————————

<u>पश्चात्</u>

यह जमानत प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, कोरबा के न्यायालय से विधिवत निराकरण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय के रिमाण्ड प्रपत्र एवं आबकारी वृत्त कोरबा (दक्षिण) के अपराध कमांक–99/2022, धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधन अधिनियम 2014, की केस डायरी मय जमानत विरोध प्रतिवेदन अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

जमानत प्रकरण तर्क हेतु नियत है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री सुखदेव कंवर अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री कौशल प्रसाद श्रीवास, अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदन का लिखित में कोई जवाब नहीं देना व्यक्त किया।

जमानत आवेदन पत्र के संदर्भ में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का तर्क सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। आवेदन में उल्लेखित है, कि यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं आवेदन का संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि आवेदक/अभियुक्त को आबकारी वृत्त कोरबा (दक्षिण) के द्वारा अपराध कमांक–99/2022, धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधन अधिनियम 2014 में गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रकिया संहिता निरस्त कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे शंका के आधार पर प्रकरण में

अभियोजित किया गया है। अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र कर्ता सदस्य है, उसके अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। वह कोरबा जिला का स्थायी निवासी है, उस पर अधिरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत संबंधी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके पुत्र अजय कुमार यादव के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है, कि आवेदक/अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र अन्य किसी समकक्ष न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पेश, लंबित अथवा निराकृत नहीं हुआ है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर घोर आपत्ति होना व्यक्त करते हुए उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब जप्त किये जाने से उसकी ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय के रिमाण्ड प्रपत्र एवं आबकारी वृत्त कोरबा (दक्षिण) के अपराध कमांक–99/2022, धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधन अधिनियम 2014, की केस डायरी मय जमानत विरोध प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

केस डायरी में आये तथ्य के अनुसार आबकारी वृत्त (दक्षिण) द्वारा मुखबीर से मिली सूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ रेड कार्यवाही करने पर पुलिस थाना उरगा के अंतर्गत ग्राम चितापाली स्थित **अभियुक्त देवराज यादव** के रिहायसी मकान में **अभियुक्त देवराज के आधिपत्य** से छः नग 05 लीटर वाली प्लास्टिक सफेद जेरिकेन प्रत्येक में 05–05 लीटर भरी हुई कुल 30 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 20 नग प्लास्टिक बोरियों में प्रत्येक में 10–10 किलोग्राम भरी हुई महुआ लाहन कुल 200 किलोग्राम पाया गया। अभियुक्त द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियुक्त से बरामद 30 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन कुल 200 किलोग्राम को जप्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी वृत्त कोरबा (दक्षिण) के अपराध कमांक–99/2022, धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधन अधिनियम 2014, का दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक के द्वारा अपने आधिपत्य में 30 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन कुल 200 किलोग्राम रखा गया था, जिसे आबकारी पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। अभियुक्त से बरामद 30 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन कुल 200 किलोग्राम जप्ती की मात्रा को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि आवेदक/अभियुक्त व्यवसाय के लिए कच्ची महुआ शराब बनाने एवं बिक्री करने का कार्य करता है। इस स्तर पर यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है, कि मामले में आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है अथवा वह निर्दोष है, बल्कि प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से अपराध में उसकी संलिप्तता होना स्पष्ट है। इस स्तर पर यह भी राय नहीं बनाई जा सकती है, कि जमानत पर छूटने पर उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जायेगा।

मामले के उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा 59(क) में वर्णित जमानत संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः **आवेदक/अभियुक्त देवराज यादव** की ओर से प्रस्तुत **जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता** स्वीकार योग्य नहीं होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के रिमाण्ड प्रपत्र के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय को एवं केस डायरी के साथ संलग्न कर संबंधित आबकारी वृत्त को भेजा जावे।

जमानत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर सुव्यवस्थित कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
कोरबा (छ.ग.)